संख्या– 621/26–ब0प्र0–11–01(ब0प्र0)/09–डी0पी0

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ, दिनांकः 11जुलाई, 2011

विषयः– डा0 अम्बेडकर ग्रामों में "डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों" के निर्माण हेतु धनराशि के आहरण के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या–501/26–ब0प्र0–2011–01 (ब0प्र0)/09–डी0पी0 दिनांक 27–05–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्गत धनराशि के आहरण पर यह मार्ग–दर्शन चाहा गया है कि इस धनराशि का आहरण किसके द्वारा किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि उपरिसंदर्भगत शासनादेश दिनांक 27–05–2011 के प्रस्तर–2 व 3 में यह स्पष्ट आदेश जारी किये गये हैं कि प्रश्नगत सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त होते ही जिलाधिकारी द्वारा इसका कार्य प्रारम्भ करते हुए दिनांक 30–11–2011 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर लिया गया है।

2– उक्त के परिपेक्ष्य में पुनः यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य को पूरा किये जाने के लिए जनपद के जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व ही निर्धारित किया गया है। इस संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 27.05.2011 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जिलाधिकारी द्वारा अथवा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत किये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा धनराशि आहरित कर चयनित कार्यदायी संस्था/विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–3–1201/दस– 2011, दि0 11जुलाई, 2011 में प्राप्त उनके सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–621 (1)/26–ब0प्र0–2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/ग्राम्य विकास/कार्यक्रम कार्यान्वयन/डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0/निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव

Pr GO